

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0...183/20... ता0रजु...06.01.20... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक...07.02.2020

सरकार

बनाम

श्रीशचन्द्र पुत्र गजाधर


पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का श्रीशचन्द्र पुत्र गजाधर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम श्रीशचन्द्र पुत्र गजाधर के खसरा नम्बर 2076, 2100, 2102 रकवा 0-37, 0-76, 0-25 हैक्ट. किस्म भूमि चारागाह पर सम्बत 2076 में श्री श्रीशचन्द्र पुत्र गजाधर, जाति-जाह मि. श्रीशचन्द्र पुत्र गजाधर तह0 बयाना ने 0-48 हैक्ट. अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2076, 2100, 2102 रकवा 0-48 हैक्ट. वाके ग्राम श्रीशचन्द्र पुत्र गजाधर से बेदखल किया जाता है। लगान 2-68 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 384 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी / अवैध कब्जा / बेदखली बाबत हल्का पटवारी / गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-02-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का पत्रावली
श. जे. नं. 11
दिनांक 24/2/20
2019-20
पैनल्टी 384
न्यायालय
न्यायिक बयाना


न्यायिक बयाना तहसीलदार
(भरतपुर)